N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0270 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/11/2024 12:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	420
4	भा दं सं 1860	467
5	भा दं सं 1860	468
6	भा दं सं 1860	471
7	भा दं सं 1860	477-A
8	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/07/2009 **Date To (दिनांक तक):** 03/07/2015

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/11/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/11/2024 12:45:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 15 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM KARMISAR, TEHSIL AVM JILL BIKAENAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAGDISH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHANWAR LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1965 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHRIRAMSAR, BIKANER, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHRIRAMSAR, BIKANER, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESHWAR SINGH		पिता:REVATSINGH	1. MAHILA ITI KE SAMANE,PATEL NAGAR,BIKANER,RAJASTHAN,I
2	PRABHUDAYAL		पिता:DEVARAM	1. PURANA ROSHANI GHAR KE PASS,MOHALLA KHARNADA,BIKANER,RAJAST
3	GAURISHANKAR		पिता:CHHOTELAL	1. M.S. COLLAGE KE PICHHE,RANISAR

				RAJASTHAN,INDIA
4	DEVENDRA KUMAR SHARMA		पिता:SHANKAR LAL SHARMA	1. JASSUSAR GATE KE BAHAR,BIKANER,RAJASTHAN,I
5	KHETARAM		पिता:BANSHILAL	1. GRAM SHRIRAMSAR,NAYASAHAR,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
6	BHAWARLAL AND OTHERS		पिता:BHOLJI	1. SHRIRAMSAR,BIKANER,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 9,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि प्राथमिक जांच संख्या 72/2015 से पाया गया है कि ग्राम करमीसर, तहसील व जिला बीकानेर के उपनिवेशन खसरा नंबर 175 तादादी 14 बीघा पुख्ता भूमि जो राजस्व खसरा नंबर पुराना 88 मीन की है। उक्त खसरा की 14 बीघा भूमि की खातेदारी का प्रकरण 100/96 न्यायालय तहसीलदार राजस्व बीकानेर में विचाराधीन था। उक्त खातेदारी प्रकरण में तहसीलदार राजस्व बीकानेर ने दिनांक 30.09.2002 के निर्णय में उल्लेख किया है कि उक्त रकबा नगर विकास न्यास की योजना क्षेत्र में होने से श्री भंवरलाल पुत्र भोलूराम को खातेदारी आदेश देने से इन्कार किया गया तथा उक्त खातेदारी प्रकरण 100/96 को खारिज कर दिया। उक्त खातेदारी निरस्त करने पर भंवरलाल ने तहसीलदार राजस्व बीकानेर के उक्त निर्णयादेश दिनांक 30.09.2002 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के यहां अपील पेश की, जो उक्त न्यायालय ने अपील संख्या 25/2002 अनुवानी भंवरलाल पुत्र भोलू माली बनाम राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार में जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 11.03.2003 को भंवरलाल की उक्त अपील खारिज करते हुए तहसीलदार बीकानेर के उक्त निर्णयादेश दिनांक 30.09.2002 को यथावत् रखा तथा प्रकरण की पत्रावली संख्या 100/96 तहसीलदार राजस्व बीकानेर को न्यायालय की मूल पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। तत्पश्चात भंवरलाल पुत्र भोलू ने न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर के निर्णयादेश दिनांक 11.03.2003 के विरूद्ध राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 72/2003 अनवानी भंवरलाल पुत्र भोलजी, जाति माली, निवासी श्रीरामसर बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व बीकानेर व सचिव नगर सुधार न्यास बीकानेर पेश की, जिसमें न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 30.09.2005 को प्रकरण में सुनवाई करते हुए पत्रावली जिला कलक्टर बीकानेर को प्रेषित करते हुए गुणावगुण के आधार पर एवं कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए दूबारा सुने एवं तर्क सम्मत आदेश पारित करें अर्थात् पत्रावली रिमाण्ड कर पक्षकारान् को दूबारा सुनने का आदेश प्रदत्त किया गया। उक्त पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के यहां दिनांक 13.03.2006 को पेशी में रखी गई, जिसमें 08.05.2006 को तारीख पेशी मुकर्रर की गई, इसके पश्चात उक्त प्रकरण को अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर के यहां स्थानान्तरण कर दिया, जिसमें न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन बीकानेर ने दिनांक 30.05.2008 को अपने निर्णय में उल्लेख किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रों के अवलोकन से अब यह तथ्य प्रकट होता है कि तहसीलदार बीकानेर ने अपने निर्णय में विधिक विवेचना किये बिना, राज्य सरकार के पत्र एवं आदेशों का अध्ययन किये बिना निर्णय पारित किया था, अतः प्रकरण तहसीलदार बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रेषित

किया जाता है कि विचाराधीन प्रकरणों में नगर विकास न्यास, बीकानेर का कोई हित निहित है सुनना आवश्यक हो तो नगर विकास न्यास को भी पक्षकार बनाया जाकर सुना जावे तथा नवीनतम परिपत्रों के मध्य नजर अपीलार्थीगणों को पुनः सुना जाकर नवीनतम आदेश/निर्देश/परिपत्रों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उक्त दिनांक 30.05.08 के निर्णय के क्रम में तहसील स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तहसीलदार भू-अभिलेख बीकानेर ने अपने पत्रांक 1904 दिनांक 17.03.20 में स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा दिनांक 30.05.08 को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये गये प्रकरण में तहसील स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा कार्यवाही संबंधी कोई पत्रावली नहीं है। तत् समय तहसीलदार के पद पर श्री तुलसीराम पदस्थापित थे तथा नायब तहसीलदार के पद पर श्री रामेश्वर सिंह वर्ष 2005 से दिनांक 30.07.2010 तक पदस्थापित रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा रिमाण्ड करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रश्नगत प्रकरण 100/96 में भंवरलाल पुत्र भोलूराम माली को उक्त उपनिवेशन खसरा नंबर 175 तादादी 14 बीघा भूमि की वर्ष 1996 से 30.05.2008 तक किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार भंवरलाल के पक्ष में जारी होना नहीं पाया गया है। इस प्रकरण में उपनिवेशन खसरा नंबर 175 तादादी 14 बीघा भूमि के खातेदारी आदेश जरिए क्रमांक 1782-83 दिनांक 22.06.2005 श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार राजस्व बीकानेर द्वारा जारी करना रिकॉर्ड पर आया है, जबकि वर्ष 1996 से दिनांक 30.05.2008 तक प्रश्नगत भूमि के संबंध में खातेदारी प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहा है। विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण चल रहे थे, उसके उपरांत भी खातेदारी आदेश 1782-83 दिनांक 22.06.2005 जारी किया गया है, जो सुसंगत नहीं है। उक्त क्रमांक 1782-83 दिनांक 22.06.2005 द्वारा भंवर पुत्र भोलु, जाति माली, साकिन देह के उपनिवेशन खसरा नंबर 175 की 14 बीघा कृषि भूमि, मु. बृजी बेवाह उदाराम, भीखाराम पुत्र उदाराम, जाति माली, साकिन सुजानदेसर को राजस्व खसरा नंबर 88/70, 65/2 की 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि व पाबूदान पुत्र रूघाराम, श्रीमती पुनमा पुत्री रूपाराम, जाति नायक, साकिन देह को उपनिवेशन खसरा नंबर 249 की 12 बीघा पुख्ता भूमि के खातेदारी आदेश संयुक्त रूप से जारी किया गया है। उक्त खातेदारी आदेश क्रमांक 1782-83 दिनांक 22.06.2005 पटवारी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा डिस्पेच रजिस्टर में डिस्पेच किया गया है। डिस्पेच रजिस्टर 2005 के अनुसार उक्त खातेदारी किस व्यक्ति, किस गांव व किस खसरे की जारी की गई का उल्लेख नहीं पाया गया है। उक्त डिस्पेच क्रमांक 1782-83 के पश्चात पुनः 1782 नंबर से डिस्पेच उक्त पटवारी द्वारा किया गया है, जो क्रमांक 1862 तक किये गये हैं। उक्त तीनों काश्तकारों की पत्रावलियां देखकर रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार उक्त पटवारी द्वारा खातेदारी आदेश तैयार किया गया था। जो पटवारी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने बयान में खातेदारी आदेश पूर्व की तारीखों में मेरे द्वारा श्री रामेश्वरसिंह नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार बनाये गये तथा उनके निर्देशानुसार ही डिस्पेच रजिस्टर में मेरे द्वारा पीछे की तारीखों में डिस्पेच किये गये। उक्त खातेदारी आदेश में क्रमांक 1782 के ऊपर 1665 कटे हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं व तारीख 14.06.2005 में अंक 14 को 22 बनाया गया है, जो उक्त पटवारी द्वारा बनाया गया है, डिस्पेच क्रमांक 1665 को काटकर 1782 भी उक्त पटवारी द्वारा किया गया है। डिस्पेच रजिस्टर में क्रमांक 1665 पटवार मंडल करमीसर में करमीसर को काटकर चक गर्बी अंकित किया गया है, क्रमांक 1665 दिनांक 14.06.2005 पर खातेदारी करमीसर के नाम से डिस्पेच किया था, फिर रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार के निर्देश पर उक्त पटवारी ने करमीसर के स्थान पर चकगर्बी अंकित कर दिया और खातेदारी क्रमांक 1665 दिनांक 14.06.2005 जो भंवर पुत्र भोलू के नाम से डिस्पेच नंबर लगाये हुए थे, जिसमें भी उक्त पटवारी ने श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार के निर्देश पर 1665 को काटकर क्रमांक 1782 व दिनांक 14 को 22 बनाया गया है। उक्त डिस्पेच रजिस्टर से भी यह पाया गया है कि खातेदारी आदेश डिस्पेच में काटछांट कर खातेदारी आदेश फर्जी रूप से जारी किया गया है। उक्त खातेदारी आदेश में बृजी देवी बेवाह उदाराम के नाम से खातेदारी आदेश तहसीलदार राजस्व क्रमांक 1684 दिनांक 30.09.1996 जारी किया गया का नामान्तरकरण संख्या 107 दर्ज होकर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार उक्त खातेदारी आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 107 दर्ज होकर स्वीकृत हो चुका था, उसके उपरांत भी भंवर पुत्र भोलू के नाम से खातेदारी आदेश क्रमांक 1782-83 दिनांक 22.06.2005 में भी उक्त व्यक्ति के नाम पुनः खातेदारी जारी की गई है तथा पाबूदान पुत्र रूघाराम, श्रीमती पूनम पुत्री रूघाराम के नाम से भी संयुक्त खातेदारी आदेश डिस्पेच किया गया है। उक्त खातेदारी की पत्रावली चाही गई तो तहसीलदार भू-अभिलेख बीकानेर ने अपने पत्रांक 1324 दिनांक 18.02.2020 द्वारा सूचना दी है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त से संबंधित खाता चिन्हित नहीं हो पाया है, इससे स्पष्ट कि श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार ने अपने बचाव में उक्त दोनों खातेदारों के साथ भंवर पुत्र भोलू के नाम से खातेदारी आदेश क्रमांक 1782-83 दिनांक 22.06.2005 को जारी किया गया। उक्त खातेदारी आदेश श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा डिस्पेच किया गया, जिसने जांच पर बताया कि डाक पुस्तिका में दर्ज कर संबंधित हल्का पटवारी को दिया गया था, परन्तु वर्ष 2005 की ऑफिस कानूनगो शाखा की तीन डाक पुस्तिकाएं तहसील कार्यालय बीकानेर से प्राप्त की गई, जिसमें उक्त खातेदारी आदेश दर्ज होना नहीं पाया गया है, इससे स्पष्ट है कि जारी खातेदारी आदेश दिनांक 22.06.2005 किसी को नहीं दिया गया तथा उक्त खातेदारी आदेश के क्रम में श्री खेताराम पुत्र बंशीलाल, निवासी करमीसर ने तहसीलदार बीकानेर के नाम एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खातेदारी आदेश भंवर पुत्र भोलू के नाम निरस्त करने बाबत पेश करने पर नायब तहसीलदार श्री रामेश्वर सिंह ने दिनांक

24.06.2005 को ऑफिस कानूनगो को मार्क कर रिपोर्ट चाही गई। तत्पश्चात जरिए क्रमांक 1861 दिनांक 30.06.2005 द्वारा उक्त श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार द्वारा खातेदारी आदेश 1782-83 दिनांक 22.06.2005 निरस्त किया गया। इस प्रकार पाया गया है कि श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार ने दिनांक 22.06.2005 को खातेदारी आदेश जारी किये, जो श्री खेताराम का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 30.06.2005 को निरस्त किये गये का कोई राजस्व रिकॉर्ड में अंकन उक्त अवधि से वर्ष 2009 तक नहीं पाया गया। श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार ने ग्राम करमीसर के उपनिवेशन खसरा नंबर 175 की 14 बीघा पुख्ता भूमि की खातेदारी भंवर पुत्र भोलू माली के नाम फर्जी जारी की गई, जबकि खसरा गिरदावरी संवत् 2050 (वर्ष 1993-94) के अनुसार तहसील बीकानेर के आदेश क्रमांक 459 दिनांक 18.09.1993 की पालना में मु.पत्नी बेवा भोलू, भंवरलाल, बंशीलाल पि. भोलू, राधादेवी, सोदरा देवी पुत्रियान भोलू कौम माली, साकिन श्रीरामसर, खसरा नंबर 175 मी. की 14 बीघा, 181 में 5 बीघा 18 बिस्वा, 188 में 2 बीघा 19 बिस्वा कुल 22 बीघा 17 बिस्वा गैर खातेदारी का अंकन है। इस प्रकार पाया गया है कि खसरा नंबर 175 की 14 बीघा भूमि में भंवर पुत्र भोलू के साथ पत्नी बेवा भोलू, बंशीलाल पि. भोलू, राधादेवी, सोदरा देवी पुत्रियान भोलू भी हिस्सेदार थे। उक्त तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार ने खातेदारी भंवर पुत्र भोलू के नाम से नियम विरूद्ध एवं श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पटवारी, श्री भंवरलाल पुत्र भोलू, खेताराम पुत्र श्री बंशीलाल से मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए फर्जी खातेदारी आदेश बनाये गये तथा षड़यंत्र में शामिल खेताराम पुत्र श्री बंशीलाल से खातेदारी आदेश जारी होने की दिनांक 22.06.2005 के एक दिन बाद ही प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामूली आधारों पर ही खातेदारी आदेश निरस्त करने बाबत आदेश दिनांक 30.06.2005 बनाये गये, जो श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा के बयानों से ही स्पष्ट है कि उक्त दोनों आदेश काफी पूर्व की तारीखों में बनाये गये। श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार, उक्त कर्मचारी व लाभार्थियों द्वारा इस प्रकार के गलत आदेश बनाये ताकि उच्च राजस्व अदालतों में खातेदारी आदेश का वैध साबित करवाया जा सके। उक्त खातेदारी आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ और भंवर पुत्र भोलू ने उक्त प्रश्नगत 14 बीघा भूमि जरिए बैयनामा दिनांक 03.07.2009 को विक्रय की गई, जो नियम विरूद्ध की गई, क्योंकि भंवर पुत्र भोलू के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रश्नगत भूमि में हिस्सा होने के बावजूद विक्रय की गई। खातेदारी आदेश 22.06.2005 के आधार पर उप पंजीयक बीकानेर द्वारा बैयनामा पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 22.06.2005 को जारी खातेदारी आदेश दिनांक 30.06.2005 को श्री रामेश्वर सिंह तत्कालीन तहसीलदार द्वारा निरस्त किये जा चुके थे। दिनांक 03.07.2009 को भूमि विक्रय की गई, तत् समय की खसरा गिरदावरी व जमाबंदी के अनुसार प्रश्नगत भूमि आराजीराज थी। श्री भंवर पुत्र भोलू को जानकारी थी कि विक्रय की जा रही भूमि 14 बीघा में मेरे अलावा मेरे परिवार का हिस्सा है तथा मेरा खातेदारी आदेश भी दिनांक 30.06.2005 को उक्त तथ्यों के आधार पर ही खारिज की जा चुकी थी, उसके उपरांत भी भंवर पुत्र भोलू ने विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होते हुए भी खातेदारी आदेश के आधार पर भूमि विक्रय कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया। तत्कालीन उप पंजीयक श्री शंकरलाल सैनी द्वारा भंवर पुत्र भोलू द्वारा दिनांक 03.07.2009 को दो अलग-अलग सात-सात बीघा के बैयनामे पंजीबद्ध किये गये। पंजीबद्ध बैयनामों में खातेदारी आदेश के आधार पर पंजीयन करने का नोट अंकित किया गया। खातेदारी आदेश दिनांक 22.06.2005 को जारी हुआ था तथा भूमि विक्रय से संबंधित बैयनामा दिनांक 03.07.2009 को विक्रय की गई, खातेदारी आदेश के पश्चात 4 वर्ष बाद श्री भंवर पुत्र भोलू द्वारा भूमि विक्रय की गई है। भंवरलाल पुत्र भोलू, जाति माली, निवासी श्रीरामसर ने उपनिवेशन खसरा नंबर 175 की 14 बीघा भूमि में से 7 बीघा भूमि श्रीमती चन्द्रकला पत्नि ज्ञानेश्वर जाति स्वामी, श्रीमती मन्दाकिनी पत्नि दीनदयाल जाति स्वामी, श्रीमती कान्ति पत्नि सोमेश्वर स्वामी, श्रीमती सुमित्रा पत्नि अशोक स्वामी, श्रीमती अंजु पत्नि शिवकुमार(पुत्री श्री परमेश्वरलाल स्वामी), श्रीमती कौशल्या स्वामी पत्नि देवीलाल स्वामी, निवासी जस्सूसर गेट के बाहर बीकानेर को कुल 4,75,000/-रूपये में विक्रय की गई, जिसका बैयनामा दिनांक 03.07.09 को उप पंजीयक कार्यालय बीकानेर में पंजीबद्ध करवाया गया। उक्त विक्रय विलेख से पाया गया है कि उक्त 7 बीघा भूमि का सौदा 25 अगस्त 2007 में 4,75,000/-रूपये में किया गया। जिसकी राशि दिनांक 17.08.2007 को नगद एक लाख रूपये, 22.12.07 को 50,000/- रूपये, 31.01.08 को एक लाख रूपये, दिनांक 20.02.09 को 12,000/-रूपये, दिनांक 12.03.09 को 14,000/- रूपये, दिनांक 01.06.09 को 49,000/- रूपये, दिनांक 25.06.09 को एक लाख रूपये व दिनांक 03.07.2009 को 50,000/- रूपये का नगद भुगतान किया गया। उक्त खसरा की शेष 7 बीघा भूमि उक्त भंवरलाल पुत्र भोलू ने श्रीमती सरलादेवी पत्नी परमेश्वरलाल स्वामी, श्रीमती सीतादेवी स्वामी पत्नि स्व. श्री रामेश्वरलाल स्वामी, श्रीमती सुनिता पत्नि डॉ0 राधेश्याम स्वामी, श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि श्री रामनारायण स्वामी, श्रीमती गायत्री देवी पत्नि श्री विजय शंकर स्वामी, निवासीगण जस्सूसर गेट के बाहर, रामपुरा बस्ती, बीकानेर को दिनांक 03.07.2009 को विक्रय का बैयनामा पंजीबद्ध उप पंजीयक बीकानेर द्वारा किया गया है। उक्त दस्तावेज से पाया गया है कि उक्त 7 बीघा भूमि का सौदा 25 अगस्त 2007 में 4,75,000/-रूपये में किया गया। जिसकी राशि दिनांक 25.08.2007 को 35,000/-रूपये, 31.01.2008 को एक लाख रूपये, दिनांक 21.08.2008 को 1,50,000/-रूपये, दिनांक 09.09.2008 को 50,000/-रूपये, 28.11.08 को 40,000/- रूपये दिनांक 06.12.08 को 50,000/-रूपये, दिनांक 01.07.2009 को 50,000/- रूपये रूपये का नगद भुगतान किया गया। उक्त तथ्यों से पाया गया है कि बैयनामा पंजीबद्ध होने से करीब दो वर्ष पर्व ही भूमि क्रेता द्वारा भंवर

पुत्र भोलू से सौदा तय किया जा चुका था और राशि भी दी जा चुकी थी, इससे स्पष्ट है कि भूमि क्रेतागण भंवर पुत्र भोलू के सम्पर्क में रहे हैं। क्रेतागण द्वारा भंवर पुत्र भोलू से भूमि क्रय कर बैयनामे अपने नाम से पंजीबद्ध करवाये गये हैं, जिसमें क्रेतागण की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। श्री रामेश्वर संह नायब तहसीलदार, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पटवारी से भंवर पुत्र भोलू द्वारा मिलीभगत कर अपने हिस्से के अलावा अन्य परिवार के व्यक्तियों के हिस्से की जमीन की खातेदारी पिछली तारीख दिनांक 22.06.2005 में जारी करवाई गई, जो भंवर पुत्र भोलू के परिवार के श्री खेताराम से स्वयं के हिस्से की भूमि शामिल होना बाबत प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उक्त खातेदारी आदेश श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार ने दिनांक 30.06.2005 को निरस्त किया, जिसका मुख्य कारण यही था, कि खेताराम भी उक्त फर्जी खातेदारी आदेश एवं निरस्ती आदेश बनाने के षड़यंत्र में शामिल रहा है, क्योंकि उक्त खातेदारी आदेश के आधार पर भंवरलाल पुत्र भोलू द्वारा क्रेतागणों को भूमि विक्रय की जाने, क्रेतागणों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होने पर भी खेताराम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि खेताराम द्वारा सही शिकायत की हुई होती तो खेताराम उक्त समस्त कार्यवाहियों के विरूद्ध न्यायालय की शरण में अवश्य ही जाता। खातेदारी आदेश क्रमांक 1782-83 दिनांक 22.06.2005 के आधार पर श्री भंवरलाल पुत्र भोलू द्वारा 14 बीघा भूमि दिनांक 03.07.2009 को विक्रय किये जाने पर भूमि क्रेतागण द्वारा राजस्व तहसील बीकानेर में नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर तहसील कार्यालय से जानकारी मिली की खातेदारी आदेश दिनांक 30.06.2005 को निरस्त किया जा चुका है, नामान्तरकरण दर्ज किया जाना संभव नहीं है। खातेदारी आदेश निरस्त के संबंध में क्रेतागण को जानकारी मिलने पर भंवरलाल पुत्र भोलू को तथ्य बताने पर उक्त श्री भंवरलाल पुत्र भोलू, जाति माली बनाम राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व बीकानेर व खेताराम पुत्र बंशीलाल माली, साकिन श्रीरामसर द्वारा दिनांक 10.08.2009 को राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय बीकानेर में पेश की। जिसके अपील संख्या 40/2009 पाये गये। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा उक्त अपील में अपने निर्णय दिनांक 25.01.2010 को तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 30.06.2005 को खारिज किया जाकर आदेश दिनांक 20.06.2005 बहाल किया गया। उक्त अपील भूमि क्रेतागण द्वारा नहीं की गई और भूमि विक्रेता श्री भंवरलाल पुत्र भोलू द्वारा की गई। उक्त निर्णयादेश दिनांक 25.01.2010 के क्रम में नामान्तरकरण संख्या 639 खातेदारी आदेश का श्री गौरीशंकर पटवारी पटवार हल्का करमीसर द्वारा दर्ज करने पर श्री प्रभूदयाल कटारिया, गिरदावर द्वारा रिकॉर्ड से मिलान किया जाने पर श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.03.2010 को स्वीकृत किया गया व उसी रोज नामान्तरकरण संख्या 640 उक्त दोनों बैयनामों के आधार पर पटवारी श्री गौरीशंकर द्वारा दर्ज किया गया व रिकॉर्ड से मिलान श्री प्रभूदयाल कटारिया भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा किया गया व श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाना पाया गया है। श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार द्वारा खातेदारी आदेश दिनांक 22.06.2005 को जारी किये गये, जो दिनांक 30.06.2005 को खेताराम के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया गया। जिन्हें यह मालूम था कि खातेदारी भूमि में भंवर पुत्र भोलू के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम की भूमि शामिल थी, जिसका किसी भी न्यायालय से भूमि का बंटवारा नहीं हुआ तथा मामला विभिन्न राजस्व न्यायालयों में चलते हुए तथा स्वयं तहसील कार्यालय में विचाराधीन होने के उपरांत भी श्री गोरीशंकर पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया व श्री प्रभूदयाल गिरदावर द्वारा रिकॉर्ड से मिलान कर सही होना बताया एवं श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया, जबकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को भूमि के दस्तावेजात एवं तथ्यों की जानकारी थी। नामान्तरकरण श्री गौरीशंकर हल्का पटवारी द्वारा खातेदारी श्री भवंरलाल पुत्र भोलू, जाति माली के नाम दर्ज किया गया, तब पटवारी को यह देखना चाहिए था कि जारी खातेदारी भूमि में भंवर पुत्र भोलू के अलावा अन्य व्यक्तियों की भूमि तो नहीं है तथा भू-अभिलेख निरीक्षक श्री प्रभूदयाल द्वारा भी रिकॉर्ड का आदेश से मिलान किया अंकन सही का नोट अंकित कर हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि मामला राजस्व अपील अधिकारी द्वारा तहसीलदार बीकानेर के खातेदारी आदेश दिनांक 22.06.2005 को यथावत् रखा, जबकि 30.06.05 को खातेदारी आदेश उक्त श्री रामेश्वर सिंह द्वारा निरस्त किया गया, जिसका कारण भूमि में भंवर पुत्र भोलू के अलावा अन्य व्यक्तियों की भूमि शामिल होना था। उक्त प्रभूदयाल भू-अभिलेख निरीक्षक को ऐसी स्थिति में जमाबंदी गिरदावरी देखकर वस्तुस्थिति का नोट दर्ज करना चाहिए था, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड को नहीं देखकर राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के आधार पर ही अंकन कर अपने हस्ताक्षर किये, जो विधि सम्मत नहीं पाया गया। इसी प्रकार खातेदारी के नामान्तरकरण के पश्चात बैयनामों का नामान्तरकरण भी उक्त तीनों अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। श्री प्रभूदयाल गिरदावर, तहसील कार्यालय बीकानेर में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत बीकानेर के पद पर दिनांक 02.07.2004 से 30.06.2005, 15.07.2006 से 04.12.2006, 01.06.2007 से 31.05.2012 तक पदस्थापित रहे हैं तथा श्री गौरीशंकर पटवारी, पटवार हल्का करमीसर के पद पर दिनांक 02.07.2004 से 30.09.2004 व 14.11.2007 से 30.04.2011 तक पदस्थापित रहे हैं। श्री रामेश्वर सिंह वर्ष 2000 से माह दिसम्बर 2002 तक तहसील कार्यालय बीकानेर में ऑफिस कानूनगो के पद पर तथा नायब तहसीलदार बीकानेर के पद पर 30.09.2004 से 30.07.2010 तक एवं कार्यवाहक तहसीलदार के पद पर दिनांक 22.03.2005 से 08.08.2005, 04.04.2006 से 09.10.2006 तथा 28.05.2009 से 23.09.2009 तक पदस्थापित रहे हैं। उक्त तीनों अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापन अवधी के दौरान खातेदारी प्रकरण विभिन्न राजस्व न्यायालयों में

विचाराधीन रहा है, जिनकी जानकारी भली भांति उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को थी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 25.01.2010 को पारित निर्णय के क्रम में स्व मोटो रिव्यू कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने दिनांक 20.10.2010 को निर्णय पारित किया कि तहसीलदार बीकानेर के निर्णयादेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर, बीकानेर के श्रवणाधिकार की होने से स्व मोटो रिव्यू के आधार पर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2010 खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार राजस्व बीकानेर का आदेश दिनांक 30.06.2005 बहाल रखा जाता है। उक्त दोनों नामान्तरकरण संख्या 639 व 640 तत्कालीन तहसीलदार श्री रणसिंह द्वारा राजस्व न्यायालय के निर्णयादेश के क्रम में दिनांक 26.10.2010 को खारिज किये गये। तत्पश्चात न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 20.10.2010 के विरूद्ध भंवरलाल पुत्र श्री भोलू माली ने स्टेट ऑफ राजस्थान व खेताराम पुत्र श्री बंशीलाल, निवासी श्रीरामसर, तहसील व जिला बीकानेर के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में अपील संख्या एलआर/6293/2010/बीकानेर दायर की गई। जिसमें एकल पीठ न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ने दिनांक 24.12.2010 को निर्णय पारित किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 20.10.2010 खारिज किया जाता है एवं निर्णय दिनांक 25.01.2010 यथावत् रखा जाता है। उक्त निर्णय के क्रम में श्री हरिनारायण सिंह तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम करमीसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 639 पर नोट दर्ज किया गया कि "माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर अपील एलआर/6293/2010 बीकानेर निर्णय दिनांक 24.12.2010 में राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 25.01.10 को यथावत् रखा गया है। श्रीमान् जिला कलक्टर बीकानेर के विधि शाखा के क्रमांक सीबी/विधि/11/4002 दिनांक 21.10.11 की पालना में नामान्तरकरण बहाल किया गया।" तहसीलदार श्री रणसिंह द्वारा उक्त नोट को स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 640 पर भी उक्तानुसार ही नोट दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 639 की पटवार परत में खारिज व बहाली का नोट अंकित किया गया है तथा सरकार परत में नामान्तरकरण संख्या 639 में खारिज व बहाली के नोट अंकित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से पाया गया है कि श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पटवारी ने श्री भंवरलाल पुत्र भोलू, श्री खेताराम पुत्र श्री बंशीलाल से आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए फर्जी खातेदारी आदेश बनाये जाकर काफी पीछे की तारीखों में डिस्पेच किये गये तथा षड़यंत्र में शामिल खेताराम पुत्र श्री बंशीलाल से खातेदारी आदेश जारी होने की दिनांक 22.06.2005 के एक दिन बाद ही प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामूली आधारों पर ही खातेदारी आदेश निरस्त करने बाबत आदेश दिनांक 30.06.2005 बनाये गये, जो तहसील कार्यालय के डिस्पेच रजिस्टर से फर्जी आदेश तैयार करना प्रमाणित है। श्री रामेश्वरसिंह नायब तहसीलदार, उक्त कर्मचारी व लाभार्थियों द्वारा इस प्रकार के गलत आदेश बनाये ताकि उच्च राजस्व अदालतों में खातेदारी आदेश का वैध साबित करवाया जा सके। प्रश्नगत भूमि के संबंध में श्री गौरीशंकर पटवारी द्वारा भूमि के नामान्तरकरण दर्ज किये जाने पर श्री प्रभूदयाल कटारिया तत्कालीन भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड से मिलान किया गया है तथा नामान्तरकरण श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिन्यें यह मालूम था कि खातेदारी भूमि में भंवर पुत्र भोलू के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम की भूमि शामिल थी, जिसका किसी भी न्यायालय से भूमि का बंटवारा नहीं हुआ तथा मामला विभिन्न राजस्व न्यायालयों में चलते हुए तथा स्वयं तहसील कार्यालय में विचाराधीन होने के उपरांत भी श्री गोरीशंकर पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया व श्री प्रभूदयाल गिरदावर द्वारा रिकॉर्ड से मिलान कर सही होना बताया एवं श्री रामेश्वर सिंह नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया, जबकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को भूमि के दस्तावेजात एवं तथ्यों की जानकारी थी। नामान्तरकरण श्री गौरीशंकर हल्का पटवारी द्वारा खातेदारी श्री भवंरलाल पुत्र भोलू, जाति माली के नाम दर्ज किया गया, तब पटवारी को यह देखना चाहिए था कि जारी खातेदारी भूमि में भंवर पुत्र भोलू के अलावा अन्य व्यक्तियों की भूमि तो नहीं है तथा भू-अभिलेख निरीक्षक श्री प्रभूदयाल द्वारा भी रिकॉर्ड का आदेश से मिलान किया अंकन सही का नोट अंकित कर हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि मामला राजस्व अपील अधिकारी द्वारा तहसीलदार बीकानेर के खातेदारी आदेश दिनांक 22.06.2005 को यथावत् रखा, जबकि 30.06.05 को खातेदारी आदेश उक्त श्री रामेश्वर सिंह द्वारा निरस्त किया गया, जिसका कारण भूमि में भंवर पुत्र भोलू के अलावा अन्य व्यक्तियों की भूमि शामिल होना था। उक्त प्रभूदयाल भू-अभिलेख निरीक्षक को ऐसी स्थिति में जमाबंदी गिरदावरी देखकर वस्तुस्थिति का नोट दर्ज करना चाहिए था, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड को नहीं देखकर राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के आधार पर ही अंकन कर अपने हस्ताक्षर किये, जो विधि सम्मत नहीं पाया गया। इसी प्रकार खातेदारी के नामान्तरकरण के पश्चात बैयनामों का नामान्तरकरण भी उक्त तीनों अधिकारी/कर्मचारियां द्वारा लाभार्थीगण से आपसी मिलीभगत कर आपराधिक षड़यंत्र पूर्वक दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से 1. श्री रामेश्वर सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार बीकानेर हाल सेवानिवृत, 2. श्री प्रभूदयाल तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक तहसील बीकानेर हाल सेवानिवृत नायब तहसीलदार, 3. श्री गौरीशंकर तत्कालीन हल्का पटवारी करमीसर हाल सेवानिवृत, 4. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा तत्कालीन पटवारी कार्यालय तहसीलदार बीकानेर हाल सेवानिवृत, 5. श्री खेताराम पुत्र श्री बंशीलाल, जाति माली, उम्र 54 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम श्रीरामसर, पुलिस थाना नयाशहर, तहसील व जिला बीकानेर 6. श्री भंवरलाल पुत्र श्री भोलजी माली, निवासी श्रीरामसर, तहसील व जिला बीकानेर(फौत) व अन्य द्वारा आपसी मिलीभगत कर सुनियोजित आपराधिक षड़यंत्र

के तहत फर्जी खातेदारी आदेश तैयार किये जाकर काफी पीछे की तारीखों में खातेदारी आदेश को डिस्पेच किया जाकर उसे वैध साबित करके भूमि को आगे विक्रय कर खुर्द बुर्द की गई। खातेदारी भूमि में भंवर पुत्र भोलू के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम की भूमि शामिल थी, जिसका किसी भी न्यायालय से भूमि का बंटवारा नहीं हुआ। उसके उपरांत भी श्री भंवर पुत्र भोलू के अकेले के नाम से खातेदारी आदेश जारी किया जाने का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी भादसं के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये हैं। प्रश्नगत भूमि के क्रेतागण श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री ज्ञानेश्वर स्वामी, श्रीमती मंदाकिनी पत्नी श्री दीनदयाल स्वामी, श्रीमती क्रान्ति पत्नी श्री सोमेश्वर स्वामी, श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री अशोक स्वामी, श्रीमती अंजू पत्नी श्री शिवकुमार स्वामी, श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री देवीलाल स्वामी, श्रीमती सरला पत्नी श्री परमेश्वरलाल स्वामी, श्रीमती सीतादेवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वरलाल स्वामी, श्रीमती सुनीता पत्नी डॉ. राधेश्याम स्वामी, श्रीमती कृष्णादेवी पत्नी श्री रामनारायण स्वामी, श्रीमती गायत्रीदेवी पत्नी श्री विजय शंकर स्वामी व इनके पति श्री ज्ञानेश्वर स्वामी पुत्र श्री परमेश्वरलाल, श्री दीनदयाल स्वामी पुत्र श्री राधेश्याम स्वामी, श्री सोमेश्वर स्वामी पुत्र श्री परमेश्वरलाल, श्री अशोक स्वामी पुत्र श्री परमेश्वरलाल, श्री शिवकुमार स्वामी, श्री देवीलाल स्वामी पुत्र श्री सुलतानराम, श्री परमेश्वरलाल स्वामी पुत्र श्री द्वारका दास, श्री रामेश्वरलाल स्वामी पुत्र श्री देवीलाल, डॉ. राधेश्याम स्वामी पुत्र श्री द्वारका दास, श्री रामनारायण स्वामी, श्री विजय शंकर स्वामी की भूमिका के संबंध में गहन अनुसंधान से स्पष्ट किया जावेगा। अतः आरोपीगण क्रम संख्या 01 से 06 एवं अन्य के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन सादर प्रेषित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर.......कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री रामेश्वर सिंह पुत्र स्व. श्री रेंवतसिंह, जाति राजपूत, उम्र 66 वर्ष, निवासी महिला आईटीआई के सामने, पटेल नगर, बीकानेर तत्कालीन नायब तहसीलदार बीकानेर हाल सेवानिवृत,2.श्री प्रभूदयाल पुत्र श्री देवाराम, जाति मेघवाल, उम्र 62 वर्ष, निवासी पुराना रोशनी घर के पास, मोहल्ला खरनाडा, बीकानेर तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक तहसील बीकानेर हाल सेवानिवृत नायब तहसीलदार,3.श्री गौरीशंकर पुत्र श्री छोटेलाल, जाति माली, उम्र 67 वर्ष, निवासी एम.एस. कॉलेज के पीछे, रानीसर बास, बीकानेर तत्कालीन हल्का पटवारी करमीसर हाल सेवानिवृत,4.श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 68 वर्ष, निवासी जस्सूसर गेट के बाहर बीकानेर तत्कालीन पटवारी कार्यालय तहसीलदार बीकानेर हाल सेवानिवृत,5.श्री खेताराम पुत्र श्री बंशीलाल, जाति माली, उम्र 54 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम श्रीरामसर, पुलिस थाना नयाशहर, तहसील व जिला बीकानेर,6.श्री भंवरलाल पुत्र श्री भोलजी माली, निवासी श्रीरामसर, तहसील व जिला बीकानेर(फौत),7.अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आशीष कुमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर, स्पेशल यूनिट, बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 296 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1486-91 दिनांक 21-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। 3-जिला कलक्टर, बीकानेर। 4-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर । 6-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर (प्राथमिक जॉच संख्या 72/2015) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ashish kumar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/11/2024 14:27:31

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	25/04/1958				
2	Male	10/08/1961				
3	Male	21/05/1957				
4	Male	01/01/1957				
5	Male	1970				
6	Male	1929				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)